कोरोना
अति–आवश्यक

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 3158 दिनांकः 16.04.2020

:: आदेश ::

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित करने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना में जिला दौसा के नागरिको में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक न्याय/2020/2579–2602 दिनांक 18.03.2020 एवं संशोधित आदेश 2796–2797 दिनांक 22.03.2020 से कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दौसा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 05 (पांच) या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर दिनांक 16.04.2020 तक एकत्रित नही होवें इस बाबत् निषेधाज्ञा जारी की गई थी। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने हेतु दिनांक 03.05.2020 तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के आदेश जारी किए गये है।

भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा भी राज्य में पालना किए जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त निर्देशो के परिप्रेक्ष्य मे इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2579–2602 दिनांक 18.03.2020 एवं संशोधित आदेश 2796–2797 दिनांक 22.03.2020 से जारी निषेधाज्ञा को आगामी दिनांक 04.05.2020 की मध्य रात्रि तक के लिये बढाया जाता है। पूर्व आदेश मे वर्णित शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

चूंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा व्यक्तिगत तामील करवाना सम्भव नहीं है। अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है। संबद्ध विभाग एवं जन सम्पर्क अधिकारी व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा आम जनता को सूचित करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(अचिचल चतुर्वेदी)
जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 3159 दिनांकः 16.04.2020

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः-

1. माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ...राजस्थान राज्य।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को प्रेषित कर लेंख है कि उक्त आदेश की चस्पानगी आप अपने-अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावकर इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें :-

1. पुलिस अधीक्षक महोदय, दौसा ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा/महवा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोट/नांगल राजावतान/रामगढ पचवारा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
5. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, दौसा।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय दौसा ।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
8. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा।
9. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, दौसा।
10. सहायक खनि अभियन्ता दौसा।
11. जिला परिवहन अधिकारी, दौसा।
12. श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा।
13. उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, दौसा
14. अधीक्षक विशिष्ठ केन्द्रीय कारागृह, दौसा।
15. उपाधीक्षक जिला कारागृह, दौसा।
16. मत्स्य परियोजना अधिकारी, दौसा।
17. सचिव कृषि उपज मण्डी समस्त ....जिला दौसा।
18. स्टेशन अधीक्षक समस्त.......................... रेलवे स्टेशन जिला दौसा
19. मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, दौसा।
20. प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलेक्ट्रेट, दौसा।
21. प्रबंधक लीड बैंक यूको, दौसा।
22. आयुक्त, नगर परिषद दौसा।
23. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
24. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण ....जिला दौसा
25. समस्त तहसीलदार ....जिला दौसा।
26. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, लालसोट/ बांदीकुई/ महवा।
27. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दौसा।
28. अति. निजी सचिव जिला कलक्टर/निजी सहायक अति0 जिला कलक्टर, दौसा।
29. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
30. गार्ड फाईल।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ दौसा ★

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

जिला मजिस्ट्रेट
दौसा